न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 08/19
(आरसीएमएस संख्या 2019/00212)

निर्णय दिनांकः 23–12–2019

1. अजीमदीन पुत्र नूर मोहम्मद जाति तेली मुलसमान निवासी झझू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 06–06–2018
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थितिः–

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के आदेश दिनांक 06–06–2018 जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व तरीके से श्मशान हेतु भूमि आरक्षित की गई है, के विरूद्व इस न्यायालय में भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत अपील प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से तथ्यों व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना तहसीलदार, कोलायत से प्राप्त आवेदन पर ग्राम पंचायत झझू में सर्वसमाज हेतु खसरा नम्बर 1211 कुल तादादी 5.08 हेक्टर भूमि में से 1.25 हेक्टर आराजीराज दर्ज भूमि को सार्वजनिक श्मशान हेतु आरक्षित किया गया है। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि उक्त श्मशान हेतु आवंटित किये जाने हेतु किसी भी समाज के व्यक्तियों द्वारा मांग नहीं की गई थी। झझू में स्थित ग्रामवासियों हेतु पूर्व से ही 7.35 हेक्टर भूमि श्मशान हेतु उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में इतनी अधिक भूमि श्मशान हेतु उपलब्ध होने बावजूद भी इसके अतिरिक्त भूमि श्मशान हेतु

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आरक्षित किये जाने का कोई औचित्य अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील में अंकित नहीं किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि प्रकरण में ग्राम पंचायत स्वमेव द्वारा तहसीलदार, कोलायत को पत्र दिनाक 17–04–2018 प्रेषित करते हुए अभिलिखित किया गया कि ग्राम पंचायत झझू में सर्वसमाज केब 45–50 परिवार रहते है इनके धरों में किसी भी वृद्व व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इनके लिये ग्राम चक विजयसिंहपुरा जोकि 5–6 किलोमीटर की दूरी पर है, वहॉ ले जाना पड़ता है अतः सर्वसमाज के लिये श्मशान हेतु भूमि आरक्षित की जावे। उक्त प्रार्थना पत्र किसी भी ग्रामवासी के बतौर साक्ष्य हस्ताक्षर अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में तो यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया तथा दिनांक 28–05–2018 को स्वमेव ही आराजी जैर को श्मशान हेतु आरक्षित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया। ग्राम पंचायत के उक्त कृत्य से यह साबित होता है कि उनके द्वारा तमात कार्यवाही मिलीभगत करते हुए ग्रामवासियों के रहवास के नजदीक श्मशान हेतु भूमि आरक्षित करने का कत्सित प्रयास किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि चूंकि ग्रामवासियों को श्मशान हेतु पूर्व से ही 7.35 हेक्टर भूमि आरक्षित है जोकि ग्राम झझू की आबादी को दृष्टिगत् रखते हुए पर्याप्त भूमि है। उक्त तथ्य पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित होते हुए भी पुनः श्मशान हेतु भूमि आरक्षित करने का कोई युक्तियुक्त कारण उत्पन्न नहीं होता है। उक्त तथ्य पत्रावली के साथ संलग्न नक्शें के अवलोकन से प्रथम दृष्टया ही साबित होता है। प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आता है कि ग्राम पंचायत द्वारा व्यक्ति विशेष को फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से तमाम कार्यवाही की गई है। जिसकी कानून कतई अनुमति प्रदान नहीं करता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर व रिकार्ड व मौके की स्थितियों के विपरित पारित किया गया है। ऐसे आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया की अपीलांट को दिनांक 06–06–2018 को वादगत् भूमि का आवंटन किया गया था। जिसके विरूद्व अपील दिनांक 21–08–2019 को प्रस्तुत की गई है। जो मियांद बाहर

अपील है। प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामवासियों की सुविधा को व ग्राम झझू के निवासियों हेतु श्मशान भूमि अत्याधिक दूरी पर स्थित होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज सिवायचक भूमि को श्मशान हेतु आरक्षित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अदालत मातहत द्वारा प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आदेश जैर अपील पारित करते हुए ग्राम झझू के ग्राम वासियों हेतु श्मशान हेतु भूमि आरक्षित करने के आदेश प्रदान किये गये है। उक्त आदेश से अपीलांट किस प्रकार व्यथित है, साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में सर्वप्रथम धारा 96 सीपीसी पर विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करते हुए अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई नहीं होने का कथन किया गया है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में ग्राम पंचायत झझू द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर अदालत मातहत द्वारा श्मशान हेतु भूमि आरक्षित किये जाने हेतु जारी आदेश के विरूद्व चाराजोई की गई है। जबकि अपीलांट स्वयं द्वारा प्रस्तुत अपील में ग्राम पंचायत को आवश्यक पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत को बिना पक्षकार बनाये व ग्राम पंचायत को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलांट द्वारा ग्राम पंचायत की अभिशंसा पर जारी अपीलाधीन आदेश के विरूद्व चाराजोई करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

जबकि ग्राम पंचायत जो आबादी क्षेत्र के विकास एवं प्रबन्धन के लिये जिम्मेवार है कि अभिशंसा पर तथा विभिन्न सार्वजनिक उद्वेश्यों के लिये उपलब्ध सिवायचक बारानी भूमि में से श्मशान हेतु भूमि को आरक्षित किया गया है। उक्त भूमि पर अपीलांट् का कोई हित निहित नहीं है।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट् का कथन है कि श्मशान के लिये आवंटित भूमि आबादी के अत्याधिक नजदीक है जबकि इस उद्वेश्य के लिये आबादी से दूर पूर्व से ही पर्याप्त श्मशान भूमि उपलब्ध थी। अपीलांट् का यह तर्क संधारणीय नहीं है क्योंकि आबादी से बाहर या नजदीक जो भी सरकारी भूमि है उसे राज्य सरकार या अधिकृत अधिकारी यदि उपयुक्त समझे तो किसी विशेष उद्वेश्य के लिये आवंटित कर सकते है। विवादित

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आवंटन के लिये कोई विशिष्ट नियम नहीं है कि आबादी से कितनी दूरी तक श्मशान के लिये भूमि आवंटित की जा सकती है।

अपीलांट् ने श्मशान के लिये भूमि सेट अपार्ट के क्षेत्राधिकार पर की गई आपत्ति भी संधारणीय नहीं है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर कलेक्टर की शक्तियॉ कनिष्ठ अधिकारियों को प्रत्यायोजित की जाती रही है। अपीलाधीन आदेश भी इन्हीं शक्तियों के तहत जारी किया गया है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील सारहीन पाये जाने पर खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत का आदेश दिनांक 06–06–2018 यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 23–12–2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामरतन सोंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2019.12.27 16:35:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: